राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक : प.4(4)कार्मिक/क–4/2014 जयपुर, दिनांक 28-04-2016

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम–32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2014–15 की रिक्तियों में श्री राधेश्याम (अजजा) (जन्म तिथि : 25.06.1962) के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–17 में आरोप पत्र दिनांक 09.06.2009 एवं सी.सी.ए. नियम–16 में आरोप पत्र दिनांक 09.11.2010 लम्बित होने के कारण इनके प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबन्द लिफाफे में रखी गयी थी।

कार्मिक (क–3/जाँच) विभाग के आदेश दिनांक 24.04.2015 के द्वारा श्री राधेश्याम (अजजा) के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–17 का तथा आदेश दिनांक 22.03.2016 द्वारा सी.सी.ए. नियम–16 का विभागीय जाँच का प्रकरण समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप श्री राधेश्याम (अजजा) के प्रकरण में सीलबन्द लिफाफा खोला गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री राधेश्याम (अजजा) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2014–15 की रिक्तियों में वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया।

अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर श्री राधेश्याम (अजजा) (जन्म तिथि : 25.06.1962) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2014–15 की रिक्तियों में वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री होशियार सिंह के नीचे एवं श्री सुरेन्द्र सिंह मीणा के ऊपर जोडा जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम), मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरि. उप सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. श्री राधेश्याम, आर.ए.एस., परियोजना प्रबंधक, अनुसूचित जाति विकास निगम, अजमेर।
9. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव